न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या– 71 / 2021–2022

श्री गिर्राज एजूकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसाइटी, गोवर्धन द्वारा सचिव श्री नन्द किशोर आदि बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

मौजा सकीतरा

नकल आदेश

प्रार्थी श्री. गिर्राज एजूकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसाइटी, गोवर्धन द्वारा सचिव श्री नन्दकिशोर शर्मा पुत्र श्री खेमचन्द शर्मा निवासी हाथी दरवाजा, गोवर्धन व श्री गिर्राज एजूकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसाइटी, गोवर्धन द्वारा सचिव श्री नन्दकिशोर शर्मा पुत्र श्री खेमचन्द शर्मा निवासी हाथी दरवाजा, गोवर्धन, तहसील गोवर्धन व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुति प्रार्थना–पत्र में [illegible] किया गया है कि वे क्रमशः मौजा सकीतरा तहसील गोवर्धन व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–54 खसरा संख्या 172 रकवा 0.405हे. व खाता संख्या–54 खसरा संख्या–172 रकवा 0.423हे. के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि कृषि बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। उनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार, गोवर्धन द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक 15.07.2021 प्रस्तुत की गई है, जिसमें [illegible] गया है कि मौजा सकीतरा तहसील गोवर्धन व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–54 खसरा संख्या– 172 मि. रकवा 0.405हे. व खाता संख्या–54 खसरा संख्या–172मि. रकवा 0.423हे के क्रमशः श्री गिर्राज एजूकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसाइटी, गोवर्धन द्वारा सचिव श्री नन्दकिशोर शर्मा पुत्र श्री खेमचन्द शर्मा निवासी हाथी दरवाजा, गोवर्धन व श्री गिर्राज एजूकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसाइटी, गोवर्धन द्वारा सचिव श्री नन्दकिशोर शर्मा पुत्र श्री खेमचन्द शर्मा निवासी हाथी दरवाजा, गोवर्धन तहसील गोवर्धन व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। प्रश्नगत भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदि कृषि के प्रयोजन मे नही लायी जा रही है। प्रस्तावित भूमि के स्थल पर अकृषिक प्रयोग की रह गयी है। प्रस्तावित भूमि आवास विकास परिषद् या विकास प्राधिकरण अथवा अन्य किसी सरकारी निकाय द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के संबंध मे कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है। तहसीलदार, गोवर्धन द्वारा प्रस्तावित भूमि को धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0 के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जाने के संस्तुति की गई है।

तहसीलदार, गोवर्धन की संस्तुति आख्या दिनाक– 15.07.2021 के आधार पर मौजा सकीतरा तहसील गोवर्धन व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–54 खसरा संख्या– 172 रकवा 0.828 को जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उदघोषित किया जाता है कि यह उदघोषणा उक्त भूमि के कृषिक उपयोग मे लाये जाने पर तथा मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के प्रवृत्त नियमों/निर्देशों एवं अन्य किसी [illegible] प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में स्वतः निरस्त मानी जायेगी। तहसीलदार, गोवर्धन की उक्त संस्तुति आख्या आदेश का भाग रहेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, गोवर्धन को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि यदि उक्त भूमि भविष्य मे कृषि कार्य के प्रयोग में लायी जाती है तो तत्काल आख्या प्रस्तुत करे। तहसीलदार की आख्या तथा आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखो मे पंजीकृत करने हेतु तथा एक प्रति सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

R.yadav 22/07/21

(राहुल यादव)
उप जिलाधिकारी, गोवर्धन

दिनांक

यह आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनाकित कर उदघोषित किया गया।

R.yadav 22/07/21

(राहुल यादव)
उप जिलाधिकारी, गोवर्धन

[illegible] 186
[illegible] श्री नन्दकिशोर
[illegible] 26/07/2021
[illegible] 2
नकल तैयारी [illegible] 26/07/2021
नकल [illegible] 26/07/2021

[illegible]
B. [illegible]
26/07/2021

Secretary
Shri Giriraj Educational & Welfare Society
Govardhan Mathura

Scanned with CamScanner